कार्यालय जिला पंचायत,बरेली।

पत्रांक 1803-A नक्शा / 2025–26 दिनांक 5-1- 2026

संशोधित अनुज्ञा पत्र

श्री संजय कुमार पाठक
पुत्र श्री प्रेम नरायन पाठक
निदेशक, सी0 आई0 पी0 एल0 सर्विसेज, प्रा0 लि0
निवासी –जे0–9 / 31 शास्त्रीनगर, पी0 टी0 सी0
जनपद बरेली।

विषयः सीनियर लिविंग आवासीय व क्लब बिल्डिंग परियोजना के मानचित्र की स्वीकृति के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयक ग्राम म्यूडी खुर्द कलॉ क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर तहसील सदर जिला बरेली की आराजी संख्या–1263, 1264, 1266, 1267 एवं 1268 मे सीनियर लिविंग आवासीय व क्लब बिल्डिंग परियोजना के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका जिला पंचायत बरेली के कार्यालय पत्र सं0–1803 / नक्शा / 2024–25 दिनांक–21.03.2025 के द्वारा संयुक्त परियोजना का अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया था। आपके प्रार्थना पत्र दिनांक–31–12–2025 द्वारा सीनियर लिविंग आवासीय व क्लब बिल्डिंग परियोजना के मानचित्र प्लान पृथक–पृथक हस्ताक्षरित किये जाने का अनुरोध किया गया है जिस क्रम मे सीनियर लिविंग आवासीय परियोजना का मानचित्र निम्न प्रतिबन्धो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

1. प्रस्तावित सीनियर लिविंग आवासीय व क्लब बिल्डिंग परियोजना गाटा संख्या–1263, 1264, 1266, 1267 एवं 1268 ग्राम म्यूडी खुर्द कलॉ क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर तहसील सदर जिला बरेली के कुल रकबा 21553.557 वर्ग मी0 एरिया पर प्रस्तावित था। प्रस्तावित परियोजना मे सीनियर लिविंग आवासीय परियोजना 16034.897 वर्ग मी0 एरिया पर प्रस्तावित है। सीनियर लिविंग परियोजना का कार्य 16034.897 वर्ग मी0 एरिया मे ही कराया जायेगा।
2. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान मे आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है। अथवा गलत है। तो जिला पंचायत द्वारा दी मानचित्र स्वीकृति स्वत ही निरस्त मानी जायेगी। तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है। अथवा सील किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित प्लाटिंग का स्वीकृत ले आउट / तलपट मानचित्र की वैधता / अनुमन्यता स्वीकृति के दिनाक से तीन वर्ष तक के लिये ही मान्य होगी।
4. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि मे कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित / अतिक्रमण न किया जाये।
5. प्रस्तावित परियोजना का ले आउट प्लान / तलपट मानचित्र जिला पंचायत बरेली से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से लाईसेंस / अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक हो, से अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
6. प्रस्तावित परियोजना मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के संबंध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम–7 यथावत लागू रहेंगें।
7. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण रूप से किये जाने के उपरान्त आपको इस कार्यालय द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। यह आपकी स्वय की जिम्मेदारी होगी।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र मे बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र / स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन नही किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन मानचित्र मे प्रस्तावित है तो जिला पंचायत बरेली से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र [illegible] स्वामित्व का अभिलेख नही माना जायेगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 [illegible] पर दो पेड की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

क्रमशः पेज.....2 पर

ot on OnePlus
anuary 2026 at 17:16

11- मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चर प्राविधानो के अन्तर्गत करते हुये ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्नि शमन/सुरक्षा संबंधी अन्य समस्त प्राविधानों (यदि अनिवार्य हो) को आवेदक को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा। जिसकी पूर्ण कराने की जिम्मदारी आवेदक की होगी।

12- प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होगें।

13- रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्वित को अनिवार्य रूप से करना होगा।

14- प्रस्तावित परियोजना मे किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया जायेगा। यदि भविष्य मे निर्मित परियोजना पर किसी विभाग द्वारा अपनी भूमि बताया जाना या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो आवेदक द्वारा किसी मा० न्यायालय मे चुनौती देने का अधिकार नही होगा।

15- प्रस्तावित परियोजना स्वामित्व संबंधी विवाद मे स्वीकृत मानचित्र को स्वामित्व अभिलेख के रूप मे किसी भी मा० न्यायालय मे उपयोग किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। स्वामित्व संबंधी विवाद की स्थिति मे मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व संबंधी अभिलेख आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये है। के संबध मे पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति मे जिला पंचायत बरेली उत्तरदायी नही होगी।

16- प्रस्तावित परियोजना स्वामी को नियमानुसार उपकर धनराशि श्रम विभाग मे जमा कर उसकी सूचना जिला पंचायत कार्यालय मे देना अनिवार्य होगा।

17- परियोजना के मानचित्र मे दर्शाया गया रोड साइड सेट बैक व अन्य सैट बैक पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नही करेंगे ओपन रखेंगे, प्लाटिंग/निर्माण कार्य रोड के मध्य से पी०डब्लू०डी० विभाग के मानक के अनुसार ही छोडकर करना होगा। तथा अनापत्ति प्राप्त करना आवेदक का होगा।

18- परियोजना के निर्माण/संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि एवं धनहानि के लिये जिला पंचायत, बरेली का उत्तरदायित्व नही होगा। तथा किसी भी प्रकार की हानि के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

19- मानचित्र की स्वीकृति सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 26.08.2023 मे निहित शर्तो (संलग्न)के आधार पर की जा रही है। उक्त गजट नोटिफिकेशन मे उल्लिखित शर्तो का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

आप द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आपके विरूद्व अधिनियम की धारा-240 एवं सी०पी०आर०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। तथा जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्न-अनुमोदित मानचित्र</u>

अभियन्ता
जिला पंचायत बरेली।
अभियन्ता

कार्यालय जिला पंचायत
बरेली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बरेली।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बरेली